संख्या-सम्ब0-142/सत्तर-2-2011-2(142)/2011

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झांसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 5 अगस्त, 2011

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: सम्ब0/2011/1539-40, दिनांक 28.6.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन पं0 वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय, झांसी को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम/विषय में शैक्षणिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2011-12 हेतु संबद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है तथा परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति पर सत्र 2011-12 से संबद्धता की पूर्वानुमति को संबद्धता (स्थायी) की पूर्वानुमति मानते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत कर दी जायेगी :-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

--2--